Laid statements regarding various reports on the action taken by the Government on the observations/recommendations of the Standing Committee on Defence

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : सभापति महोदय, मैं समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग संख्या 19 और 22)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 11वां प्रतिवेदन ।

(2) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग संख्या 20 और 21)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 12वां प्रतिवेदन ।

(3) 'रक्षा सेवाओं, प्रापण नीति, रक्षा योजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 13वां प्रतिवेदन ।

(4) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 20 और 21)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 14वां प्रतिवेदन ।

(5) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 19, 20 और 21)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 15वां प्रतिवेदन ।

(6) 'थल सेना, वायु सेना, नौसेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (मांग संख्या 20 और 21)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 16वां प्रतिवेदन ।

(7) 'रक्षा सेवाओं, रक्षा योजना, प्रापण नीति और रक्षा पेंशन पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21 और 22)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-

कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) का 17वां प्रतिवेदन ।

(8) 'रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं - नए डीपीएसयू), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 20 और 21)' से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) का 18वां प्रतिवेदन ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 17 - श्री भर्तृहरि महताब जी ।